मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– 2337/2593/2017/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनॉक 28/09/2017

:: आदेश::

श्री के.पी.सिंह, उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी का स्थानांतर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के आदेश क्रमांक 03/प.क./स्थापना/2017/599, दिनॉक 10/07/2017 द्वारा जिला रीवा से अनूपपुर किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर श्री के. पी.सिंह, उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी रीवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू.पी.10036/2017 दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 24/07/2017 को यह आदेश पारित किया गया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी क्रमांक 1 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विचारोपरांत कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर किया जाएगा।

2. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालन में श्री के.पी.सिंह उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी द्वारा दिनॉक 26/09/2017 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । श्री के.पी.सिंह ने समक्ष में यह बताया कि वे मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष 15/02/2017 को नियुक्त किए गए हैं। स्थानांतर नीति वर्ष 2015–16 के अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को 2 पदावधि तक सामान्यतः स्थानांतर से मुक्त रखे जाने का प्रावधान है। अतः इस आधार पर उनका रीवा से अनूपपुर किया गया स्थानांतर आदेश निरस्त किया जाए।

3. मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ एक पंजीकृत संस्था है इस संघ के नियम के अनुसार राजपत्रित अधिकारी ही इस संघ के अध्यक्ष हो सकते हं जबकि श्री के.पी.सिंह जिस पद उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी को धारित करते हैं, वह मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1989 के अंर्तगत 31 जनवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अंर्तगत अराजपत्रित श्रेणी का हैं। इस आशय की अधिसूचना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 31 जनवरी 2017 को जारी की गई थी जबकि श्री के.पी.सिंह का मध्यप्रदेश राजपत्रित

अधिकारी संघ रीवा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का आदेश 15/02/2017 का है। अतः यह स्पष्ट है कि श्री के.पी. सिंह द्वारा धारित पद उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी अधिसूचना जारी करने के दिनॉक 31/01/2017 से अराजपत्रित श्रेणी का है। अतः प्रांताध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा इनकी नियुक्ति 15.02.2017 को जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ रीवा के पद पर किया जाना उचित नहीं था। इस प्रकार श्री के.पी.सिंह का पद अराजपत्रित श्रेणी का होने से उन्हें मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के सदस्य एवं पदाधिकारी होने की पात्रता नहीं है और इसी आधार पर इन्हें स्थानांतर-नीति 2015-16 के अंर्तगत कोई छूट पाने की पात्रता नही है।

4. अतः श्री के.पी.सिंह उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनॉक 26.09.2017 को अमान्य किया जाता है।

5. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जलपुर द्वारा डब्ल्यू.पी. कमांक 10036/2017 में दिनॉक 24.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में पारित किया गया।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ.क. 2338/2593/2017/सत्रह/मे-1 भोपाल, दिनॉक 28/09/2017

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन मध्यप्रदेश
2. संचालक परिवार कल्याण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा/अनूपपुर म.प्र.
4. श्री के.पी.सिंह, उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी रीवा की ओर पालनार्थ

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश